विज्ञापनों का फ़र्जीवाड़ा

आज शायद ही कोई ऐसा अख़बार मिले जिनमें फ़र्जी विज्ञापन न छापे जाते हों। हिंदी से लेकर अंग्रेज़ी अख़बारों में ऐसे-ऐसे विज्ञापन प्रकाशित किये जा रहे हैं, जो सेक्स और अंधविश्वास को बढ़ावा देने के साथ ही नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोज़गार युवाओं को ठगने वाले होते हैं। ये विज्ञापन जो दो-चार पंक्तियों के होते हैं, क्लासीफाइड विज्ञापनों के रूप में सस्ती दरों पर छापे जाते हैं। इनमें नौकरी के लिए कंपनियों के विज्ञापन के अलावा तांत्रिकों-बाबाओं, मसाज पार्लर्स, फ्रेंडशिप क्लब, एस्कार्ट सेवाओं आदि के विज्ञापन धड़ल्ले से छपते हैं। सबसे ज़्यादा तो सेक्स कमजोरी को दूर करने और जापानी इंद्रीवर्द्धक यंत्र के विज्ञापन होते हैं। कुछ विज्ञापन ऐसे भी होते हैं जिनमें लड़कियों के साथ मित्रता करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष का नाम बाकायदा मोबाइल फ़ोन नंबर के साथ छपा होता है। इसके अलावा कद बढ़ायें, मोटापा दूर करें जैसे विज्ञापन होते हैं। कुछ विज्ञापनों में टीवी और फ़िल्मों में काम देने के लिए विज्ञापन भी छपे होते हैं।

फ्रेंडशिप क्लबों के जो विज्ञापन छपते हैं उनमें यह लिखा होता है कि हाईप्रोफाइल लड़कियों, महिलाओं एवं मॉडलों से दोस्ती कर मौज-मस्ती के साथ-साथ प्रतिदिन 10 से 20,000 रुपये तक कमायें। अंग्रेज़ी के अख़बारों में मसाज पार्लर्स और एस्कार्ट सेवाओं के विज्ञापन ज़्यादा ही छपते हैं। मेल टू मेल मसाज सर्विस के विज्ञापन भी देखने को मिले।

इस बात को समझना मुश्किल नहीं है कि मसाज पार्लरों और एस्कार्ट सेवाओं की आड़ में उच्च स्तर पर देह-व्यापार चलता है। कई विज्ञापनों में साफ़ लिखा होता है कि फाइव-स्टार और सेवन-स्टार होटलों के ग्राहकों को ही मसाज करने वाली लड़कियां भेजी जायेंगी। मसाज पार्लर और एस्कार्ट सर्विस देने वालों में रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान आदि देशों से देह का धंधा करने करने के लिए आने वाली लड़कियां भी होती हैं। इस धंधे में नेपाली लड़कियां तो आम तौर पर होती हैं।

इन विज्ञापनों के जाल में कई लोग फंस कर लुट-पिट चुके हैं। फ्रेंडशिप क्लबों के चक्कर में पड़ कर बहुतेरे नवजवान काफ़ी पैसे बर्बाद कर डालते हैं और किसी लड़की से उनकी मित्रता नहीं हो पाती, पैसे कमाना तो दूर की बात है। कुछ अर्सा पहले दिल्ली पुलिस ने किसी भुक्तभोगी की शिकायत पर एक फ्रेंडशिप क्लब के दफ़्तर पर छापा मारा था। उस ऑफिस में एक व्यक्ति एवं पांच-छः लड़कियां पाई गईं, इसके अलावा छः-सात मोबाइल फ़ोन और लगभग एक दर्जन सिम कार्ड मिले। पुलिस ने सारे फ़ोन और सिम कार्ड जब्त कर लिये और वहां मौजदू सभी को पूछताछ के लिए थाने में ले गई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसका पता नहीं चल पाया। दरअसल, दिल्ली में सैंकड़ों की संख्या में जो फ्रेंडशिप क्लब चल रहे हैं, वे ठगी और वहां काम करने वाली लड़कियों के देह-शोषण के अड्डे हैं। ये फ्रेंडशिप क्लब पुलिस से सांठगांठ कर चलते हैं। मसाज पार्लर चलाने वालों के भी पुलिस से लेन-देन के रिश्ते होते हैं। अगर ऐसा न हो तो मसाज पार्लर चलाने और एस्कार्ट सर्विस देने के नाम पर देह का धंधा एक दिन भी न चल पाये।

अब बात आती है तांत्रिकों और काले इल्म के जानकारों की जो यह दावा करते हैं कि सभी तरह की समस्याओं का चुटकी में समाधान कर देंगे। ये यह भी दावा करते हैं कि वशीकरण के माध्यम से प्रेमी-प्रेमिकाओं को मिलवायेंगे, पति अगर किसी दूसरी के चक्कर में पड़ा है तो ऐसा जादू कर देंगे कि वह बीवी को छोड़ कर दूसरे को कभी देखेगा नहीं, पुरानी से पुरानी प्रेतबाधा को दूर करेंगे और सारी समस्याओं का समाधान पांच मिनट में ही कर देंगे। अगर पांच मिनट में समस्यायें दूर नहीं हुईं तो पैसा वापसी की गारंटी। ऐसे तांत्रिकों और बाबाओं के चक्कर में अनपढ़ तो अनपढ़, पढ़ी-लिखी और आधुनिक महिलाएं भी फंस जाती हैं। ये तांत्रिक और बाबा उनसे पैसे तो ठगते ही हैं, मौका मिलने पर उनका यौन शोषण करने से भी बाज़ नहीं आते। इस तरह के कई मामले अख़बारों में सामने आ चुके हैं।

इन अख़बारों में रोज़गार संबंधी जो विज्ञापन होते हैं, वे भी फ़र्जी होते हैं। ऐसे कई मामले सामने आये जब सुरक्षा गार्ड और अन्य कर्मचारियों की बहाली के विज्ञापन पढ़ कर बेरोज़गार नौजवान दिल्ली अथवा अन्य स्थानों पर स्थित उनके कार्यालयों में गये तो बहाली के पूर्व रजिस्ट्रेशन आदि के नाम पर उनसे पैसों की मांग की गई। अगर किसी ने पैसे दे दिये तो उनके इंटरव्यू आदि का ड्रामा करने के बाद कहा गया कि नियुक्ति पत्र उनके पते पर डाक से भेजा जायेगा। लेकिन महीनों तक नियुक्ति पत्र नहीं आने पर जब अभ्यर्थी दुबारा उस कार्यालय में गया तो पता चला कि वे तो जगह छोड़ कर कबके जा चुके हैं।

इसके बाद उस व्यक्ति के लिए अपना माथा पीटने के सिवा और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं होती जो नौकरी मिलने की आस में पांच सौ-हज़ार रुपये देने को तैयार हो जाते हैं और फ़र्जी कंपनियां पर्याप्त धन बटोर लेने के बाद भाग खड़ी होती हैं। पुलिस भी उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर पाने में असमर्थ हो जाती है, क्योंकि उनका कोई पता-ठिकाना तो होता नहीं।

अब सवाल यह खड़ा होता है कि अख़बारों का प्रबंधन इस तरह के फ़र्जी विज्ञापन क्यों छापता है। ज़ाहिर है, मुनाफ़े के लिए। खास बात यह है कि ऐसे वर्गीकृत विज्ञापन छापने के साथ उसी पेज पर एक वैधानिक चेतावनी भी छापी जाती है कि जिसमें कहा जाता है कि 'पहले विज्ञापन के बारे में पूर्ण जांच-पड़ताल कर लें तब कदम उठायें।

समाचार पत्र उपरोक्त किसी भी विज्ञापन के बारे में किसी पाठक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।' इसका मतलब है कि समाचार पत्र संचालकों को यह जानकारी होती है कि ये फ़र्जी विज्ञापन हैं, तभी तो वे इनकी कोई ज़िम्मेवारी नहीं लेते। अन्य विज्ञापनों के साथ कोई वैधानिक चेतावनी नहीं छापी जाती। बड़ी-बड़ी कंपनियों द्वारा निर्मित उपभोक्ता वस्तुओं के विज्ञापन के साथ यह कभी नहीं छापा जाता कि खरीदने के पहले इन वस्तुओं की पड़ताल कर लें, अन्यथा इसके लिए अख़बार ज़िम्मेवार नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि ये विज्ञापन फ़र्जी नहीं होते।

क्या अख़बार संचालकों को यह मालूम नहीं कि फ़र्जी विज्ञापन छापना एक तरह का अपराध है। यह आम मानसिकता है कि अख़बारों में छपी चीज़ों को लोग विश्वसनीय मानते हैं। अधिकांश लोग विज्ञापनों को तो पढ़ लेते हैं, पर छोटे-छोटे अक्षरों में छपी वैधानिक चेतावनी पर उनका ध्यान नहीं जाता। लेकिन अख़बार में छपे विज्ञापनों के आधार पर अगर कोई ठगी का शिकार होता है तो उसकी नज़रों में अख़बार की विश्वसनीयता नहीं रह जाती। आज बड़े पूंजीपतियों द्वारा संचालित मीडिया कंपनियों के पास धन की कोई कमी नहीं है। बड़ी-बड़ी कंपनियों के विज्ञापन मिलने के साथ ही सरकारी विज्ञापन भी उन्हें बहुतायत में मिलते हैं। अगर वे फ़र्जी विज्ञापन न छापें तो भी उनकी सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अधिक से अधिक धन कमाने की लालच और मुनाफ़ाखोरी की नीति के कारण वे फ़र्जी विज्ञापन छाप कर जनविरोधी कार्य कर रहे हैं। अख़बार में विज्ञापन छाप कर वे अंध विश्ववास, ठगी और देह-व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं।

ऐसे में जनपक्षधर लोगों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे अख़बारों द्वारा फ़र्जी और आपत्तिजनक विज्ञापन छापे जाने पर रोक लगाने का प्रयास करें। फ़र्जी विज्ञापन सभी अख़बार प्रकाशित करते हैं। हिंदी और अंग्रेज़ी के साथ-साथ अन्य भाषाओं में छपने वाले अख़बार ऐसे विज्ञापन छापने में एक-दूसरे से होड़ कर रहे हैं। क्या अख़बारों की इस मुनाफ़ाखोरी की प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता? व्यापक जनहित में ऐसा करना जरूरी है। क्या भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू इसका संज्ञान लेंगे?

बेशक भारतीय प्रेस परिषद् को यह अधिकार नहीं है कि वह इन फ़र्जी विज्ञापन छापने वाले अख़बारों पर कानूनी कार्रवाई कर सके। पर वह सरकार के संज्ञान में यह बात तो ला ही सकती है। सरकार पुलिस एवं अपराध नियंत्रण करने वाली अन्य एजेंसियों के माध्यम से संदेह के दायरे में आने वाले तमाम विज्ञापनों की असलियत खोज कर आपराधिक मुकदमा दर्ज करे और साथ ही संबंधित अख़बार को भी षडयंत्र की धारा में लपेटे।

- वंदना उपाध्याय

इस व्यवस्था में बच्चे बिकते रहेंगे

सन् 2008 से 2010 के बीच एक लाख, सत्तर हज़ार बच्चे गायब हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश से गायब होने वाले बच्चों की संख्या अधिक है। इनमें अव्वल नंबर पर है पश्चिम बंगाल। इस संबंध में एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा याचिका दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आशंका जतायी है कि कहीं इन बच्चों को वेश्यावृति के धंधे में तो नहीं लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने इस संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से जवाब तलब किया है और चार हफ़्ते के भीतर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

उल्लेखनीय है कि गायब होने वाले बच्चों में बहुत ही कम का पुलिस पता लगा पाती है। गायब होने वाले बच्चों में लड़के और लड़कियां दोनों हैं। खास बात यह है कि जिन लोगों के बच्चे गायब होते हैं, वे अत्यंत ही निम्न वर्ग के दरिद्र हैं।

बच्चों के गायब होने का मामला तब सुर्खियों में आया था जब नोएडा में घृणित निठारी कांड हुआ था। इस कांड में निठारी गांव में रहने वाले ग़रीब लोगों की छोटी-छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी गई थी। कई मामलों में तो अभियुक्त ने बच्चियों की हत्या करने के बाद उनके शव के साथ संभोग किया था और उनके मांस को पका कर खाया भी था। इस कांड के सामने आने पर पूरे देश में हलचल मच गई थी और इसके बाद ही राजधानी दिल्ली के साथ पूरे देश में गायब होने वाले बच्चों प्रति जागरूकता बढ़ी और उनके आंकड़े सामने आने लगे। यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि देश में ऐसे गिरोह हैं जो बच्चों की खरीद-बिक्री का कारोबार करते हैं।

उस समय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री रेणुका चौधरी ने कहा था कि पूरे देश में गायब होने वाले बच्चों का पता लगाने के लिए और इस पर नियंत्रण पाने के लिए देश भर में ज़िला स्तर पर विशेष सेल बनाये जायेंगे जो गायब होने वाले बच्चों के आंकड़े केंद्र को भेजेंगे और इस तरह एक डाटा बेस तैयार किया जायेगा और गायब होने वाले बच्चों का पता लगाने के लिए सघन अभियान चलाया जायेगा। पर यह योजना कागजों पर भी नहीं उतरी, महज मौखिक बन कर रह गई। रेणुका चौधरी का क्या, उन्होंने तो गर्भ में पल रहे भ्रूणों का भी डाटा बेस बनाये जाने की घोषणा कर रखी थी।

आज स्थिति यह है कि बड़े पैमाने पर बच्चों को अपराधी गिरोह अगवा कर रहे हैं और उन्हें भिक्षावृत्ति से लेकर वेश्यावृत्ति के धंधे में झोंक रहे हैं। इसके अलावा उनसे बंधुआ मज़दूरों का भी काम लिया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने भी भारत में बड़े पैमाने पर बच्चों की गुमशुदगी पर चिंता व्यक्त की है और यह कहा है कि देश में संगठित तौर पर बाल वेश्यावृत्ति का धंधा फल-फूल रहा है। यूनिसेफ ने जो आंकड़े पेश किये हैं, उसके अनुसार पूरे देश में बाल वेश्याओं की संख्या लगभग दो लाख है। इनमें नेपाली बाल वेश्यायें भी शामिल हैं। कुल मिला कर भारत बाल वेश्यावृत्ति का हब बन चुका है। भारी संख्या में विदेशी पीडोफील (अत्यंत ही

कम उम्र के बच्चों के साथ सेक्स संबंध बनाने वाले मनोविकृत) पर्यटक के रूप में यहां आते हैं और मुंबई, गोवा, बंगलूरु, पुरी एवं अन्य प्रमुख शहरों में उन्हें बड़ी ही आसानी से बाल वेश्यायें उपलब्ध हो जाती हैं। समलैंगिक कम उम्र के बच्चों के साथ संबंध बनाते हैं।

यूनिसेफ का कहना है कि बाल वेश्यावृत्ति का धंधा सिर्फ़ भारत में ही नहीं फल-फूल रहा है, बल्कि पूरा दक्षिण एशिया इसकी चपेट में है। बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका भी बाल वेश्यावृत्ति के हब बन चुके हैं। यूनिसेफ के अलावा संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी लगातार बढ़ती जा रही बाल वेश्यावृत्ति पर गहरी चिंता जताई है। इस संगठन का कहना है कि ज़िंदा गर्म गोश्त का यह व्यापार इतने बड़े पैमाने पर संगठित रूप में चल रहा है कि किसी एक देश की सरकार के वश में नहीं है कि वह इस पर पूरी तरह रोक लगा सके। इसे रोकना अंतरराष्ट्रीय ज़िम्मेदारी है।

बाल वेश्यावृत्ति के अलावा पोर्नोग्राफ़ी के लिए भी बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट पर सैंकड़ों की संख्या में ऐसी साइटें हैं जिनमें कम उम्र बच्चों को अत्यंत ही अप्राकृतिक रूपों में सेक्स क्रिया में रत दिखाया जाता है। पशुओं तक से संभोग क्रिया में भाग लेने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। यह व्यापार अरबों-खरबों का है, यही कारण है कि दुनिया भर के कुख्यात माफ़िया गिरोह जो अब तक ड्रग के धंधे में अंधाधुंध पैसा कमाते थे, अब बच्चों के यौन शोषण के धंधे में लग चुके हैं।

आज पूरी दुनिया में देह व्यापार की मंडियों में कम उम्र के बच्चों की मांग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। सिर्फ़ दक्षिण एशिया ही नहीं, बल्कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के ग़रीब देशों में भी बच्चों की खरीद-फ़रोख्त का धंधा अपने पूरे शबाब पर है। इन बच्चों को गुलामों से भी बदतर स्थिति में रखा जाता है और उन्हें घोर अप्राकृतिक सेक्स क्रियाओं में शामिल होने को मजबूर किया जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत तो यंत्रणा नहीं सहन कर पाने के कारण असमय मौत के शिकार हो जाते हैं। बहुत से लाइलाज यौन बीमारियों के शिकार हो कर तिल-तिल कर मरने को मजबूर होते हैं।

जैसा कि पहले यह उल्लेख किया जा चुका है कि गायब होने वाले बच्चे सारे ग़रीबों के होते हैं, अमीर तबके का एक भी बच्चा गायब नहीं होता। अपराधी किसी अमीर व्यक्ति के बच्चे का अपहरण करते हैं तो फ़िरौती के उद्देश्य से और जब अमीर वर्ग से कोई बच्चा अपहृत होता है तो पूरी पुलिस व्यवस्था बड़ी ही फ़ुर्ती से सक्रिय हो जाती है और किसी भी कीमत पर, भले ही फ़िरौती क्यों न देनी पड़े, बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लेती है। लेकिन अगर कोई ग़रीब अपने बच्चे के गायब होने की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो पुलिस इसकी कोई परवाह नहीं करती। उसकी पूरी कोशिश होती है कि गुमशुदगी दर्ज नहीं की जाये। वह गायब हुए बच्चे के अभिभावकों को ही डांटने-फटकारने लगती है। अगर दबाव में उसे गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करनी ही पड़ जाये तो इस संबंध में वह कोई तफ़्तीश नहीं करती। इसकी वजह यह है कि ग़रीब के बच्चे के गायब होने पर उस पर किसी तरह का कोई दबाव पड़ने वाला नहीं है। अभिभावक भी बार-बार थाने-चौकियों के चक्कर काट कर और वहां पुलिस वालों द्वारा किया जाने वाला अपमानजनक व्यवहार सह कर यह मान लेता है कि यह उसके पूर्व जन्म के पापों का ही फल है कि उसका बच्चा गायब हो गया।

उल्लेखनीय है कि बड़े पैमाने पर बच्चों को गायब करने वाले जो गिरोह सक्रिय हैं, वे पुलिस की निगाहों से बच नहीं सकते। वे अपना धंधा पुलिस से सांठगांठ कर चलाते हैं और उन्हें नेताओं का राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है। बिना पुलिस एवं नेताओं के राजनीतिक संरक्षण के बिना इस तरह का धंधा एक दिन भी नहीं चल सकता। राजधानी दिल्ली में नौकरी दिलाने के नाम पर आदिवासी युवतियों की खरीद-फ़रोख्त का धंधा भी जम कर चल रहा है।